फर्द अहकाम

लय...... उपखण्ड अधिकारी ...... मुकाम ...... गोविन्दगढ़ (अलवर) ......

...... सुरेन्द्र कौर ...... बनाम ...... कुलवंतकौर वगैरा ......

प्रकरण सं. ...... ता. रजू ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
21.07.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ता0 पेशी तक पाबंद किया जाता है कि वो विवादीत आराजी खसरा नम्बर 401, 413/1 वाके ग्राम दोंगड़ी तह0 गोविन्दगढ़ में मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसें में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यतः बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समझा जावेंगा। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 23.08.2023 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 23.08.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	
23.8.23	पत्रावली पेश। P.O. साहब प्रशिक्षण कार्यक्रम जयपुर में पत्रावली दिनांक 31.8.23 को पेश हो। रीडर	
31.8.23	वकील प्रार्थी उप0। अधिवक्ता अमृतलाल सैनी ने O1R10 CPC प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी दिनांक 21.9.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जारी हु
12.06.25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी सं. 1,2 हेतु दिनांक 20.6.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
20.6.25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली की धिविबी से अप्रार्थी संख्या 1,2 की तलबी में विचाराधीन है। अप्रार्थी सं. 1,2 की तलबी खर्चे अदालत जमा करवाने बाबत वकील प्रार्थी को बार-बार पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। परन्तु आदिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1व2 की तलबी नहीं कराई गयी है। अत: प्रार्थना पत्र-212 RTA सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अन्तर्गत आदेश 9 नियम 05 में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	